इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड संख्या: 13 अंक संख्या: 4 नवम्बर, 2020 पृष्ठों की संख्या 18

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबंधित नीतियाँ ---------- 4
बीमा ---------- 5
नयी नियुक्तियाँ ----------7
विदेशी मुद्रा ----------7
शब्दावली----------8
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ---------- -9
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------9
संस्थान समाचार ----------10
नयी पहलकदमी ----------15
बाजार की खबरें ----------15

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

7 से 9 अक्तूबर, 2020 तक आयोजित मौद्रिक नीति समिति की बैठक की मुख्य बातें

मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीसरी बैठक 7 से 9 अक्तूबर, 2020 तक आयोजित की गई। उक्त बैठक की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

- पुनर्खरीद (repo) दर 4.00% पर अपरवर्तित।
- प्रतिवर्ती (reverse) पुनर्खरीद दर 3.35% पर अपरिवर्तित।
- बैंक दर और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) 4.25% पर अपरिवर्तित।
- आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTLs) के 4% पर बनाए रखा जाएगा।
- सितंबर, 2020 और 31 मार्च, 2021 के बीच खरीदी गई प्रतिभूतियों के मामले में सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) निवेशों में वर्धित परिपक्वता तक धारित (HTM) सीमाएं 31 मार्च, 2022 तक बढाई गईं। परिपक्वता तक धारित सीमाएं 30 जून, 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही से आरंभ करके चरणबद्ध रीति से 22% से घटाकर 19.5% पर बरकरार कर दी जाएगी।
- चलनिधि बढ़ाने और कुशल मूल्य-निर्धारण को सुगम बनाने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान एक विशेष मामले के तौर पर राज्यों द्वारा जारी प्रतिभूतियों के समावेश वाले राज्य विकास ऋणों (SDLs) में खुले बाजार के परिचालनों (OMOs) का संचालन।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सदा-सुलभ लक्ष्यांकित दीर्घावधिक पुनर्खरीद परिचालनों की घोषणा की

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को कृषि, कृषि की मूलभूत सुविधा, प्रतिभूत खुदरा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), औषधि, फार्मास्युटिकल तथा स्वास्थ्य-रक्षा कंपनियों द्वारा जारी लिखतों (papers) में निवेश करने के लिए लक्ष्यांकित दीर्घावधिक पुनर्खरीद परिचालनों (TLTROs) के तहत सदा-सुलभ (on-tap) निधियाँ प्राप्त करने की अनुमति दे दी है। यह योजना 31 मार्च, 2021 तक परिचालन में रहेगी और इसमें सभी बैंक सहभागिता करने के पात्र होंगे। निधियाँ तीन वर्षों की पुनर्खरीद संविदा के लिए पिछले सप्ताह में अनुरोध करने वाले अनुरोधकर्ता बैंकों के पास प्रत्येक सोमवार को जारी की जाएंगी। इस योजना के अधीन परिचालन तिथि को किसी व्यक्ति द्वारा किए गए एकाधिक/कई अनुरोधों को एकल संविदा में शामिल किया जाएगा। मांगी गई रकम के शेष बची रकम से अधिक होने पर शेष बची रकम सानुपातिक आधार पर सभी पात्र अनुरोधों में वितरित कर दी जाएगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को लक्ष्यांकित दीर्घकालिक पुनर्खरीद परिचालन रकम को मोचित (unwind) करने तथा अपेक्षाकृत सस्ती सदा-सुलभ योजना के अधीन उधार लेने हेतु 27 मार्च, 2020 से लेकर 23 अप्रैल, 2020 के बीच ली गई उनकी लक्ष्यंकित दीर्घकालिक पुनर्खरीद परिचालन रकम को प्रतिवर्तित करने की भी अनुमति दे दी है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अंतर-लेनदार करार हस्ताक्षरित करने वाले डिबेंचर न्यासियों के लिए रूपरेखा जारी की

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निवेशकों की ओर से अंतर-लेनदार करार (ICAs) हस्ताक्षरित करने वाले डिबेंचर न्यासियों के लिए एक रूपरेखा निर्धारित कर दी है। तदनुसार समाधान योजना को पुनरीक्षण अवधि की समाप्ति से 180 दिनों के भीतर अंतिम रूप दे दिया जाना चाहिए। उसे (इस निर्धारित समय-सीमा के भीतर) अंतिम रूप न दिये जाने पर डिबेंचर न्यासी अंतर-लेनदार करार से उसी अधिकार के साथ बाहर निकल जाने हेतु स्वतंत्र होंगे, जैसे कि उन्होंने अंतर- लेनदार करार कभी हस्ताक्षरित ही न किया हो और समाधान योजना डिबेंचर न्यासियों के लिए बाध्यकर नहीं होगी।

4
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण पुनरसंरचना, एकबारगी पुनरसंरचना, संपत्ति पर ऋण के संबंध में स्पष्टीकरण दिये

भारतीय रिजर्व बैंक ने एकबारगी पुनर्व्यवस्था (restructuring**) के लिए बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (**FAQs**) में यह स्पष्ट किया है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण वित्तीय दबाव का सामना कर रहे उधारकर्ताओं के लिए विनियामक योजना के तहत प्रवर्तन (**invocation**) तिथि को बकाया ऋण को पुनरसंरचित (**restructured**) किया जा सकता है।**

ऐसे उधारकर्ताओं, जिन्होंने ऋण स्थगन का विकल्प अपनाया था और उनके मामले में भी जिन्होंने यह विकल्प नहीं अपनाया था पिछले सात महीनों में कई एक परिवर्तन हुये हैं। उदाहरण के तौर पर व्यावसायिक इकाई में कार्यशील पूंजी स्तर तथा वसूल किए जाने वाले ब्याज की रकम अब मार्च, 2020 की तुलना में अलग-अलग हैं, इसप्रकार बकाए की रकम परिवर्तित हो जाती है। अतएव यह झटका आवश्यक था।

बैंकों को पुनरसंरचना योजनाएँ अधिकतम 31 दिसंबर, 2020 से लागू करना है। वैयक्तिक ऋणों के लिए पुनरसंरचना योजना प्रवर्तन की तिथि से 90 दिनों के भीतर आवश्यक रूप से कार्यान्वित कर दी जानी चाहिए, अलबत्ता ऋणदात्री संस्थाओं को समय-पूर्व प्रवर्तन का प्रयास करना चाहिए। कारपोरेट ऋण के मामले में उक्त योजना 180 दिनों के भीतर आवश्यक रूप से कार्यान्वित कर दी जानी चाहिए।

जहां तक संपत्ति पर ऋण (LAP**) का संबंध है, व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए चल सम्पत्ति की प्रतिभूति वाले संपत्ति पर ऋण को वैयक्तिक ऋण के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता। अतएव इसे कोविड-19 के कारण दबाव का सामना कर रहे वैयक्तिकेतर (** non-individual**) उधारकर्ताओं वाले ढांचे तहत पुनरसंरचित किया जाना चाहिए।**

बीमा

इर्डाई ने मानक जीवन बीमा उत्पाद शुरू किए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सभी जीवन बीमा कंपनियों द्वारा 1 जनवरी, 2021 और उसके बाद से अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाने वाला भारत के लिए सरल जीवन बीमा नामक एक मानक, वैयक्तिक मियादी बीमा उत्पाद जारी किया है। बीमाकर्ताओं को उत्पाद बीमा विनियामक और विकासकर्ता के पास अधिकतम 1 दिसंबर, 2020 तक जमा कराने होंगे।

उक्त उत्पाद असम्बद्ध, गैर-सहभागी वैयक्तिक वास्तविक-जोखिम प्रीमियम जीवन बीमा योजना है। यह पालिसी की मियाद के दौरान जिस व्यक्ति का जीवन बीमित है उसकी मृत्यु हो जाने पर नामिती को बीमित रकम का एकमुश्त भुगतान करेगा। इसके पूर्व बीमा विनियामक और विकासकर्ता ने आरोग्य संजीवनी नामक एक मानक स्वास्थ्य उत्पाद तथा मानक कोविड उत्पादों यथा- कोरोना कवच एवं कोरोना रक्षक की शुरूआत की थी। मानक मियादी उत्पाद के तहत आत्महत्याओं को छोडकर कोई अपवर्जन नहीं है।

सरल बीमा व्यक्तियों को लिंग, निवास स्थान, यात्रा, व्यवसाय /वृत्ति अथवा शैक्षणिक योग्यताओं संबंधी प्रतिबंधों के बिना प्रदान किया जायेगा। इस उत्पाद के अधीन न्यूनतम बीमित रकम 5 लाख रुपए होगी, अधिकतम 25 लाख रुपए तक हो सकती है। हालांकि, बीमाकर्ता को 25 लाख रुपए से अधिक की बीमित रकम उपलब्ध कराने का विकल्प प्राप्त होगा। प्रवेश की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम 65 वर्ष पर सीमित रखी गई है। अधिकतम परिपक्वता आयु 70 वर्ष की होगी। उक्त पालिसी की मियाद 5 से लेकर 40 वर्ष तक विस्तारित होगी। उक्त योजना का उद्दिष्ट मुख्यत: निम्न आय वर्ग है, जिनमें से 20-25% के लिए मियादी जीवन बीमा उच्चतर प्रीमियम के कारण अंतिम प्राथमिकता हो जाता है।

इर्डाई ने कोविड विशिष्ट उत्पादों के नवीकरण, स्थानांतरण और वहनीयता की अनुमति दी

कोविड मामलों में अभी तक कमी न आने के परिणामस्वरूप बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने कोरोना कवच और कोरोना रक्षक के बारे में अपने पूर्ववर्ती दिशानिर्देशों को आशोधित कर दिया है तथा उनके नवीकरण, स्थानांतरण एवं वहनीयता की अनुमति दे दी है। पालिसी धारक द्वारा प्रयुक्त विकल्प के अनुसार बीमाकर्ता द्वारा पालिसी की हामीदारी किए जाने की शर्त पर कितनी भी अवधि वाली ये कोरोना-विशिष्ट पालिसियाँ साढ़े तीन माह, साढ़े छ: माह अथवा साढ़े नौ माह की और अधिक अवधि के लिए नवीकृत की जा सकती हैं। नवीकरण वर्तमान पालिसी संविदा की समाप्ति से पहले किया जाना होगा। अतएव, 31 मार्च, 2021 तक इन पालिसियों के नवीकरण की अनुमति दी गई है।

इसके अतिरिक्त, नवीकरण कराये जाने पर उसमें 15 दिनों की कोई अतिरिक्त प्रतीक्षा अवधि नहीं होगों तथा पालिसी की व्याप्ति अविरत जारी रहेगी। नवीकरण के दौरान पालिसीधारकों द्वारा बीमित रकम को भी बदला जा सकता है। किन्तु बीमित रकम में कोई वृद्धि होने पर केवल बीमित रकम के बढ़े हुये हिस्से के लिए प्रतीक्षा अवधि नए सिरे से आरंभ होगी।

जहां तक स्थानांतरण का संबंध है कोरोना कवच पालिसियों के मामले में बीमाकर्ताओं को यह विकल्प प्राप्त होता है कि वे पालिसीधारक द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार उनके द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले क्षतिपूर्ति पर आधारित किसी अन्य स्वास्थ्य बीमा उत्पाद में स्थानांतरण प्रदान करें।

समूह पलसियों के मामले में बीमाकर्ता बीमित सदस्यों को किसी अन्य विशिष्ट क्षतिपूर्ति पर आधारित स्वास्थ्य पालिसी में स्थानांतरण बीमित सदस्य के समूह पालिसी से निष्क्रमण अथवा अंतर्निहित समूह पालिसी की व्याप्ति रुक जाने के समय प्रदान कर सकते हैं।

स्थानांतरण की अनुमति मिल जाने की स्थिति में वर्तमान कोरोना कवच पालिसी (वैयक्तिक या फिर समूह पालिसियों) में व्यतीत अवधि के उपचित लाभ संरक्षित किए जाने चाहिए। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमाकर्ताओं से एक बीमाकर्ता से किसी दूसरे बीमाकर्ता को कोरोना कवच (विशिष्ट) पालिसी की वहनीयता की अनुमति देने के लिए कहा है। प्रतीक्षा अवधि के उपचित लाभ वहनीयता के दौरान भी ज्यों के त्यों रहेंगे।

नयी नियुक्तियाँ

अधिकारी का नाम	संस्था का नाम
श्री राजेश्वर राव	उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	23 अक्तूबर, 2020 के दिन बिलियन रुपए	23 अक्तूबर, 2020 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियाँ	4126040	560532
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	3809474	517524
(ख) सोना	271325	36860
(ग) विशेष आहरण अधिकार	10949	1,487
(घ) अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	34292	4661

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

नवम्बर, 2020 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.21600	0.24700	0.27900	0.32450	0.40740
जीबीपी	0.03480	0.0599	0.1002	0.1465	0.1924
यूरो	-0.51000	-0.520	-0.524	-0.503	-0.473
जापानी येन	-0.03750	-0.038	-0.038	-0.034	-0.025
कनाडाई डालर	0.73000	0.549	0.600	0.683	0.768
आस्ट्रेलियाई डालर	0.08800	0.090	0.108	0.181	0.261
स्विस फ्रैंक	-0.72000	-0.743	-0.719	-0.675	-0.615
डैनिश क्रोन	-0.15080	-0.2297	-0.2315	-0.2316	-0.2141
न्यूजीलैंड डालर	0.06800	0.020	0.025	0.060	0.120
स्वीडिश क्रोन	-0.04100	-0.028	-0.005	0.033	0.073
सिंगापुर डालर	0.18400	0.220	0.285	0.390	0.483
हांगकांग डालर	0.47000	0.460	0.490	0.545	0.610
म्यामार	1.85000	1.840	1.920	2.020	2.120

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

अंतर- लेनदार करार (ICA)

सामान्यतया अंतर-लेनदार विलेख (deed**) कहा जाने वाला अंतर-लेनदार करार अग्रिम रूप से यह निर्धारित करते हुये कि उनके प्रतियोगी हितों का निराकरण किस प्रकार होता है और उनके पारस्परिक उधारकर्ता की सेवा में किस प्रकार कार्य किया जाए दो या उससे अधिक लेनदारों द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रलेख होता है। एक विशिष्ट परिदृश्य में किसी एक करार में दो लेनदार शामिल हैं - एक वरिष्ठ और एक गौण (कनिष्ठ) लेनदार। हालांकि कुछेक परिस्थितियों में उसमें दो से अधिक वरिष्ठ ऋणदाता हो सकते हैं। ऐसे मामलों में उनके बीच परिभाषित/निर्धारित एक और करार आवश्यक होता है।**

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

परिचालन चक्र परिचालन चक्र किसी कंपनी को 1 परिपूर्ण परिचालन चक्र निर्मित करने यथा-व्यापारिक माल खरीदने, उन्हें बेचने तथा प्राप्य रकम वसूल करने में कितने दिन लगते हैं। छोटे परिचालन चक्र से तात्पर्य यह है कि कंपनी बिक्रियां सृजित करती है तथा नकदी शीघ्र वसूल करत्ती है। इसका सूत्र इस प्रकार है :
परिचालन चक्र = माल सूची बकाया रहने के दिन + विक्री बकाया रहने के दिन।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

नवंबर, 2020 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उधार और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अग्रिमों की पुनरसंरचना	17 से 19 नवंबर, 2020 तक	मुंबई कार्यालय द्वारा प्रौद्योगिकी पर आधारित
बैंकों में जोखिम प्रबंधन	18 से 20 नवंबर, 2020 तक	मुंबई कार्यालय द्वारा प्रौद्योगिकी पर आधारित
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त	22 और 23 नवंबर, 2020	प्रौद्योगिकी पर आधारित
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उधार	26 और 27 नवंबर, 2020	पीडीसी कोलकाता द्वारा प्रौद्योगिकी पर आधारित
अनर्जक आस्ति प्रबंधन	27 से 29 नवंबर, 2020 तक	मुंबई कार्यालय द्वारा प्रौद्योगिकी पर आधारित
कृषि वित्त	2 और 3 दिसंबर, 2020	पीडीसी कोलकाता द्वारा प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमाणित बैंक प्रशिक्षक	4 से 6 दिसंबर, 2020 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमाणित बैंकिंग अनुपालन	8 से 10 दिसंबर, 2020 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित

संस्थान समाचार

परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ

संस्थान ने परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ (Remote Proctored**) आरंभ कर दी हैं। परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ अभ्यर्थियों को घर बैठे परीक्षाओं में शामिल होने और उसके साथ ही उनके ज्ञान के आधार को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करती हैं। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं :**

- 8 प्रमाणपत्र परीक्षाओं के लिए परोक्ष रूप से निरीक्षण अगस्त, 2020 में किया गया और 13 प्रमाणपत्र परीक्षाएँ सितंबर, 2020 में आयोजित होंगी।
- परीक्षा दूसरे और चौथे शनिवारों तथा सभी रविवारों को संचालित की जाएगी।
- परीक्षा शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- परोक्ष रूप से निरीक्षण स्वत: परोक्ष निरीक्षण एवं भौतिक परोक्ष निरीक्षण प्रक्रियाओं के संयोजन में किया जाएगा।

इस विधि की परीक्षा से संबन्धित महत्वपूर्ण अनुदेश तथा बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न संस्थान की वेबसाइट पर डाले गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें : http://iibf.org.in/exam related notice.asp

नया पाठ्यक्रम संस्थान द्वारा "दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016" पर विशेष बल के साथ बैंकों की दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान" विषय पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है। पहली परीक्षा की तिथि शीघ्र ही घोषित की जाएगी। इस पाठ्यक्रम का ध्येय है बैंकिंग व्यावसायिको एवं कर्मचारियो के बीच उक्त संहिता की समझ विकसित करना, बैंकरों को दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए अपनाई जाने वाली कार्यविधियों तथा किसी दिवाला समाधान प्रक्रिया में उनकी भूमिकाओं को निभाने के लिए बेहतर समझ रखने और वाणिज्यिक निर्णयों सहित उनके कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के अत्यंत सावधानी और कर्मठता के साथ सभी हितधारकों के हित में निर्वहन के लिए उनकी सक्षमता को सुदृढ़ करने में समर्थ बनाना। व्यावसायिक बैंकर अर्हता की शुरूआत संस्थान एक ऐसी सुनहरी महत्वाकांक्षी अर्हता की शुरूआत करेगा जो शिक्षण एवं ज्ञान के क्षेत्र में परमोत्कर्ष का प्रतीक होगी। व्यावसायिक बैंकर के नाम से जानी जाने वाली यह अर्हता मध्यम प्रबंधन स्तर में लंबे समय से अनुभव किए जा रहे कौशल अंतर को भरने के लिए एक विशिष्ट अर्हता है और यह बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्रों में निर्णायक ज्ञान उपलब्ध कराएगी।

व्यावसायिक बैंकर की हैसियत पाने के इच्छुक किसी बैंकर को पाँच वर्षों का अनुभव रखना जरूरी होता है। संस्थान द्वारा इस अर्हता के विवरण थोड़े ही समय में घोषित किए जाएंगे।

सशोधित सतत व्यावसायिक विकास योजना संस्थान ने 15 सितंबर, 2020 से विद्यमान सतत व्यावसायिक विकास (CPD) योजना को संशोधित कर दिया है। संस्थान द्वारा आरंभ किए गए नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है, सहभागिता किए गए व्याख्यानों, संगोष्ठियों, वेबिनारों के लिए प्रत्यय पत्रों (credits) को संशोधित कर दिया गया है। सतत व्यावसायिक विकास योजना में एक वर्ष के भीतर आवश्यक प्रत्यय पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के वैधीकरण की शर्त पर प्रमाणपत्र दिये जाएंगे। संशोधित योजना के अधीन परिणाम घोषित किए जाने की तिथि से प्रारम्भ होकर सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम के तहत पंजीकरण की तिथि तक पिछले 9 महीनों में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स से प्राप्त की गई अर्हताएँ प्रत्यय पत्र की पात्र होंगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.iibf.org.in देखें।

चार्टर्ड बैंकर संस्थान के साथ सहयोग

संस्थान के साथ एक पारस्परिक मान्यता करार (MRA) हस्ताक्षरित किया था जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स ने 27 जून, 2017 को चार्टर्ड बैंकर इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के प्रमाणित भारतीय सह-सदस्यों (CAIIB) के लिए उनकी अर्हताओं को चार्टर्ड बैंकर संस्थान द्वारा मान्यता दिलाने और चार्टर्ड बैंकर संस्थान की व्यावसायिकता, नैतिक नियमों तथा विनियमन मापांक (module) का अध्ययन कर के चार्टर्ड बैंकर बनने एवं चिंतनशील नियत कार्य (reflective assignment) सफलतापूर्वक पूरा करने में समर्थ बनाने का एक मार्ग खोला गया था।

इस पारस्परिक मान्यता करार (MRA) को आगे बढाते हुये इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के प्रमाणित कनिष्ठ सहयोगियों (JAIIB) के लिए भी जेएआईआईबी व्यावसायिक परिवर्तन मार्ग के माध्यम से चार्टर्ड बैंकर की हैसियत प्राप्त करने का एक मार्ग उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम को घोषित करने की तिथि चार्टर्ड बैंकर संस्थान के परामर्श से शीघ्र ही निर्धारित की जाएगी।

बैंक क्वेस्ट विश्वविद्याल अनुदान आयोग की जर्नलों की केयर सूची में शामिलइंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के तिमाही जर्नल बैंक क्वेस्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के समूह बी वाले जर्नलों की केयर सूची में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सावित्री फुले पुणे विश्वविद्याल(SPPU) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – शैक्षिक एवं शोध नीति-शास्त्र संकाय

(UGC- Consortium for academic and Research Ethics) सृजित करने हेतु प्रकाशन नीति-शास्त्र केंद्र (CPE), में जर्नलों के विश्लेषण के लिए एक कक्ष की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूचना के अनुसार सभी शैक्षिक प्रयोजनों के लिए केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केयर सूची में समाविष्ट जर्नलों के शोध प्रकाशनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

आत्म-समगामी ई-शिक्षण (SPeL) पाठ्यक्रम

संस्थान को अपने दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों-यथा डिजिटल बैंकिंग और बैंकिंग में नैतिकता के लिए आत्म-समगामी (self-paced) ई-शिक्षण पाठ्यक्रमों की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। इस आत्म-समगामी ई-शिक्षण का उद्देश्य बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्रों में नियोजित व्यावसायिकों को एक अधिक सहायक प्रशिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना है। आत्म-समगामी ई-शिक्षण विधि में अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु पंजीकरण कराने, स्वयम अपनी गति से सीखने और अंत में स्वयम अपने स्थान से परीक्षा में शामिल होने की सुविधा प्राप्त होगी। उक्त दोनों पाठ्यक्रमों के लिए आनलाइन पंजीकरण 9 अप्रैल, 2019 से प्रारम्भ हो गए हैं। अधिक विवरण के लिए कृपया लिंक http://www.iibf.org.in/documents/SPeLnotice.pdf देखें।

कारबार संपर्कियों का अनिवार्य प्रमाणन

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और भुगतान बैंकों दोनों के कारबार संपर्कियों के प्रमाणन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स को एकमात्र प्रमाणन एजेंसी के रूप में अभिज्ञात किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उक्त परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम संशोधित कर दिया गया है। संस्थान ने कारबार संपर्कियों के प्रमाणन के लिए सीएसआर -ई- अभिशासन (CSR-e- Governance) के साथ गठजोड़ भी कर रखा है।

बैंकों में सक्षमता निर्माण

संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिज्ञात परिचालन के चार मुख्य क्षेत्रों, यथा खजाना प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, लेखांकन और ऋण प्रबंधन में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। ये पाठ्यक्रम आनलाइन परीक्षा के साथ मिश्रित हैं जिसके बाद उनमें ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिन्होंने आनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। भारतीय विदेशी

मुद्रा व्यापारी संघ के सहयोग से इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला विदेशी मुद्रा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ऐसे सभी बैंक कर्मचारियों, जो खजाना परिचालन सहित विदेशी मुद्रा परिचालन के क्षेत्र में कार्यरत है या कार्य करने के इच्छुक हैं, के लिए एक अनिवार्य प्रमाणन होगा। कृपया परीक्षा हेतु पंजीकरण और अधिक विवरण के लिए वेबसाइट www.iibf.org.in **देखें।**

प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा में समाधान

संस्थान ने प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा वाली विधि के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित करने हेतु एक साफ्टवेयर अभिगृहीत किया है। यह साफ्टवेयर गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी लाये बिना संस्थान को प्रशिक्षार्थियों की काफी बड़ी संख्या तक प्रशिक्षण सामग्री प्रसारित करने में समर्थ बनाएगा। वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण भी आरंभ कर दिया गया है। अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in **देखें।**

परीक्षाओं के लिए छद्म जांच सुविधा

संस्थान अपने मुख्य पाठ्यक्रमों यथा जेएआईआईबी और सीएआईआईबी के अलावा अपने तीन विशिष्टीकृत पाठ्यक्रमों यथा प्रमाणित खजाना व्यावसायिक, प्रमाणित ऋण व्यावसायिक और वित्तीय सेवाओं में जोखिम के लिए छद्म जांच सुविधा प्रदान करता है। उक्त छद्म जांच में कोई भी बैंक कर्मचारी शामिल हो सकता है।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुयें

हमारे तिमाही जर्नल "बैंक क्वेस्ट" के आगामी अंकों के लिए विषय-वस्तुयें हैं :

- **अक्तूबर-दिसंबर 2020 - चैलेंजेस एंड अपारचुनिटीज़ ड्यू टू कोविड 19 फार क्रेडिट इंटर्मीडियरीज**

- **जनवरी - मार्च, 2021 - रोल आफ फाइनैन्सियल सेक्टर इन सपोर्टिंग आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव आफ गवर्नमेंट आफ इंडिया**
- **अप्रैल - जून, 2021 - इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैन्सिंग- न्यू नार्मल**
- **जुलाई - सितंबर, 2021 - इवोल्यूशन एंड फ्यूचर आफ मॉनिटरी एंड फिस्कल पालिसीज - सब थीम्स : रेग्यूलेतारी फ्रेमवर्क, मॉनिटरी फ्रेमवर्क, फिस्कल फ्रेमवर्क**

- **अक्तूबर - दिसंबर, 2021 - इन्टरनेशनल फाइनैन्सियल सेण्टर्स**
- **जनवरी – मार्च, 2021 – इफेक्टिव रिसोल्यूशन आफ स्ट्रेस्द असेट्स**

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान मेँ इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे मेँ पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों मेँ प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि मेँ कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) **संस्थान द्वारा फरवरी, 2020 से जुलाई, 2020 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों मेँ समावेश के लिए विनियामक//कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र मेँ 31 दिसम्बर, 2019 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।**

(ii) **संस्थान द्वारा अगस्त, 2020 से जनवरी, 2021 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2020 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।**

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या : 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

3.6
3.55
3.5
3.45
3.4
3.35
3.3
3.25
3.2.

मई, 2020, जून, 2020, जुलाई, 2020, अगस्त, 2020, सितंबर, 2020, अक्तूबर, 2020
स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज लेटर अक्तूबर, 2020

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

100
95
90
85
80 शृंखला 1
75 शृंखला 2
70 शृंखला 3
65 शृंखला 4
60

मई, 2020, जून, 2020, जुलाई, 2020, अगस्त, 2020, सितम्बर, 2020, अक्तूबर, 2020
स्रोत : एफबीआईएल

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

7
6.5
6
5.5
5

अप्रैल, 2020, मई, 2020, जून, 2020, जून, 2020, जुलाई, 2020, अगस्त, 2020, सितंबर, 2020
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अक्तूबर, 2020

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

41000.00
39000.00
37000.00
35000.00
33000.00
31000.00
29000.00
27000.00

मई, 2020, जून, 2020, जुलाई, 2020, अगस्त, 2020, सितम्बर, 2020, अक्तूबर, 2020
स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE)

समग्र जमा वृद्धि %

11.5
11
10.5
10
9.5
9
8.5
8
7.5

अप्रैल, 2020, मई, 2020, जून, 2020, जुलाई, 2020, अगस्त, 2020, सितंबर, 2020
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड अक्तूबर, 2020

डा. जे. एन. मिश्र द्वारा मुद्रित, डा. जे. एन. मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डा. जे. एन. मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 **फैक्स** : **91-22-2503 7332**
तार : INSTIEXAM **ई-मेल** : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in

.

आईआईबीएफ विजन नवम्बर, 2020